

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *304
10.08.2026 को उत्तर के लिए

चीनी मिलों के कारण होने वाला प्रदूषण

*304. श्री सुनील कुमार :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले में चीनी मिलों के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन चीनी मिलों का निरीक्षण किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘चीनी मिलों के कारण होने वाले प्रदूषण’ के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री सुनील कुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *304 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, यथासंशोधित, के अनुसार, अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के साथ-साथ मौजूदा परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों में विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा उत्पाद मिश्रण या कच्चे माल के मिश्रण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित क्षेत्र के लिए उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट क्षमता निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य है। गन्ने की 5000 टन प्रतिदिन से अधिक गन्ना पेराई क्षमता वाले चीनी उद्योग का उल्लेख ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची की मद संख्या 5 (अ) में किया गया है अतः उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है। ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में चीनी उद्योगों को श्रेणी ‘ख’ की परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार इनका मूल्यांकन राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा किया जाता है तथा पर्यावरणीय मंजूरी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा प्रदान की जाती है।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना से संबंधित सभी पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करते हुए एक व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना शामिल है, जिसमें उचित प्रदूषण शमन उपायों का प्रावधान, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना करना शामिल है। परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रत्येक छः माह में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 35(अ) के माध्यम से चीनी मिलों से उत्सर्जन एवं अपशिष्ट डिस्चार्ज के मानक अधिसूचित किए हैं।

चीनी मिलों के आगे विनियमन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापना की सहमति एवं/अथवा संचालन की सहमति प्रदान करके किया जाता है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में अधिसूचित पर्यावरणीय मानकों के प्रवर्तन के प्रावधान और अनुपालन की निगरानी के प्रावधान भी शामिल हैं। प्रवर्तन को सुदृढ़ करने और पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जल एवं वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश जारी किए हैं कि पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के सत्यापन हेतु रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का निरीक्षण कम से कम क्रमशः 6 माह, 1 वर्ष एवं 2 वर्ष की अवधि में किया जाए। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण

नियंत्रण समितियों द्वारा रेड श्रेणी के अंतर्गत आने वाली चीनी मिलों का प्रत्येक छः माह में निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है।

स्व-विनियमन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, चीनी मिलों के लिए उत्सर्जन एवं अपशिष्ट जल की वास्तविक समय आधार पर निगरानी हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सर्वर से कनेक्टिविटी सहित ऑनलाइन संधारणीय उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, चीनी मिलों ने कणीय पदार्थ उत्सर्जन/कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) के रूप में चक्रवात/बहु-चक्रवात/वेट स्क्रबर/इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) स्थापित किए हैं।

इसके अलावा, बिहार राज्य का पश्चिम चंपारण जिला गंगा नदी बेसिन में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2017 से गंगा नदी के मुख्य प्रवाह वाले राज्यों में संचालित अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के अंतर्गत आने वाली चीनी मिलों का वार्षिक निरीक्षण करता है, जो तृतीय पक्ष तकनीकी संस्थानों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अधिकारियों के संयुक्त दलों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित पाँच (5) चीनी मिलों (जीपीआई) का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि सभी चीनी मिलें डिस्चार्ज मानकों का अनुपालन कर रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नामित तृतीय पक्ष एजेंसियों के निरीक्षण के अलावा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) द्वारा पेराई के मौसम के दौरान चीनी मिलों का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किया जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2018 में गंगा नदी बेसिन में स्थित चीनी कारखानों द्वारा अपशिष्ट जल उपचार हेतु चार्टर भी तैयार किया है। सीपीसीबी ने इसके सफल कार्यान्वयन के पश्चात, वर्ष 2025 में “चीनी उद्योगों द्वारा जल संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण हेतु व्यापक चार्टर” नामक चार्टर 2.0 तैयार किया है, जिसके परिणामस्वरूप ताजे जल की खपत, अपशिष्ट जल डिस्चार्ज एवं प्रदूषण भार में कमी तथा पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन में सुधार हुआ है।
